448

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी प्रकरण क्रमांक– नि0 – 2481 – I – 16

श्री S.K. Shrivastava द्वारा आज दि. 28/7/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

28/7/16

मो0. यासीन तनय जुम्मन खां निवासी भगतनगर कॉलोनी अनंतपुरा तहसील व जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

निगराकार

बनाम

1. काशीराम तनय हल्केराम राय सैनिक भारतीय थल सेना निवासी हसगौरा तहसील मोहनगढ हाल निवासी कुण्डेश्वर तहसील व जिला टीकमगढ़ म0प्र0
2. अनंदी तनयरामा काछी निवासी हसगौरा तहसील मोहनगढ जिला टीकमगढ़ म0प्र0
3. म.प्र. राज्य

प्रति निगराकारगण

निगरानी प्रस्तुत विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र. के प्रकरण क्रमांक7 6/स्व निगरानी/2015–16 में पारित आदेश दिनांक– 24.06.2016 अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर विनय करता है :–

1. यह कि मौजा हसगौरा तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत खसरा नं. 9/4 रकवा 1.214 हैक्टेयर भूमि प्रति निगरानीकर्ता क्रमांक–2 के नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर वर्ष 2013–14 मे धारित भी जिसमें उक्त भूमि खसरे के कालम 12 में अथवा किस्त बंदी खतोनी आसमीबार 2013–14 के कालम 23 में भूमि क्रय से प्रतिबंधित कोई भी टीप नहीं थी। इस कारण निगरानीकर्ता ने पूर्ण प्रतिफल देकर 6 लाख रूपये में दिनांक 9.06.2014 को क्रय की। विक्रय पत्र मुख्यालय उप पंजीयक टीकमगढ़ के यहां सम्पन्न हुआ था। उक्त विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से पृष्ठ

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक –निग.-2481-एक/2016 जिला-टीकमगढ़

मो.यासीन विरूद्ध काशीराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। 3. यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-टीकमगढ़ के नामांतरण क्रमांक 76/स्व निगरानी/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 24-06-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-07-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28/01/19

(आर.के. जैन)

सदस्य